Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2021/44 बअनवान प्रकाशचन्द्र बनाम करणसिंह
अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। वकील प्रतिवादी श्री शरीफ खान उपस्थित। उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दलील दी गई कि ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4 है। प्रतिवादीगण दोनो पक्षों की खातेदारी भूमियों का सीमांकन करवाये बिना अपनी भूमि का अकृषि प्रयोजन संपरिवर्तन करवाने पर आमादा है तथा मौके पर पक्का निर्माण एक कमरे का भी करवा दिया है जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.84 हैक्टर में किसी प्रकार की दखलअंदाजी से रोके जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरीत प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शरीफ खान के द्वारा दलील दी गई की उनके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में ही निर्माण करवाया है। वादी की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही रहते है। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.84 हैक्टर वादीगण की खातेदारी भूमि है तथा ग्राम जादरी के खसरा नंबर 4 रकबा 0.84 हैक्टर की भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। दोनो ही भूमियों की सीमाए आपस में मिलती है। वादीगण का उक्त वाद में मुख्य अनुतोष यही है कि मौके पर दोनो खसरों का सीमांकन होकर माठ कायम की हुई नही है तथा प्रतिवादीगण बिना माठ कायम किये जोर जबरदस्ती वादीगण के खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी करने की कोशिश कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की इन दलीलों का खण्डन साक्ष्य इत्यादी के माध्यम से नही किया गया है जिससे विधिक प्रावधानों के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.84 हैक्टर के खातेदार वादीगण होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना न्यायसंगत है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.84 हैक्टर में प्रतिवादीगण बिना सीमांकन के किसी प्रकार से अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे तथा वादीगण के काश्त व कब्जे में दखलअंदाजी नही करे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर बाली एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner